संख्या– 91 /33–3–2014–73/2012

प्रेषक,

आर0एम0 श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 11 जनवरी, 2014

विषयः–**भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश के बी0पी0एल0 श्रेणी के सभी वृद्धजनों को एक–एक कम्बल दिये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के अन्तर्गत प्रदेश की बी0पी0एल0 श्रेणी की सभी महिलाओं को दो–दो साड़ी तथा वृद्धजनों को एक–एक कम्बल निःशुल्क वितरित किये जाने हेतु उक्त योजना के स्वरूप का निर्धारण किया गया है।

2– सम्यक विचारोपरान्त कम्बल की आपूर्ति एवं वितरण दिनांक 31 जनवरी, 2014 तक प्रत्येक दशा में समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्या–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 में निम्नलिखित संशोधन किया गया है :–

(क) योजना के स्वरूप निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 के प्रस्तर–3 में निर्धारित जिला स्तरीय कय समिति के गठन के स्थान पर निम्नवत जिला स्तरीय कय समिति का गठन किया जाता हैः–

कम संख्या	जिला स्तरीय कय समिति	पदनाम
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अपर जिलाधिकारी	सदस्य
4	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
5	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य कोई तकनीकी विशेषज्ञ	तकनीकी सदस्य
6	जिलापूर्ति अधिकारी	सदस्य

7	जिलाधिकारी द्वारा नामित उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी	सदस्य

(ख) योजना के स्वरूप निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–884 /33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 के प्रस्तर–9 (क) में उल्लिखित प्री–डिस्पैच परीक्षण की व्यवस्था को केवल कम्बल की वर्तमान आपूर्ति (31जनवरी, 2014तक) के संदर्भ में शिथिल किया जाता है, क्योंकि वर्तमान आपूर्ति प्रत्येक दशा में दिनांक 31 जनवरी, 2014 से पूर्व होना है।प्री–डिस्पैच परीक्षण की शिथिलता मात्र इसी आपूर्ति के लिए होगी। पश्चातवर्ती आपूर्तियों पर यह शिथिलता लागू नहीं होगी।

(ग) शासनादेश संख्या–884/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 के प्रस्तर–9 (ख) में उल्लिखित पोस्ट–डिस्पैच परीक्षण के संबंध में जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा गठित पोस्ट–डिस्पैच परीक्षण दल के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए अब पोस्ट–डिस्पैच परीक्षण दल जिला पंचायत राज अधिकारी की अध्यक्षता में गठित किया जाता है। इसमें जिलाधिकारी द्वारा नामित महाप्रबन्धक,जिला उद्योग केन्द्र या अन्य कोई तकनीकी विशेषज्ञ तथा जिलाधिकारी द्वारा ही नामित उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारी को सदस्य रखा जायेगा।

(घ) कम्बल की आपूर्ति /वितरण के संबंध में क्रेता समिति का यह दायित्व होगा कि आपूर्तिकर्ता संस्था को आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल की पूर्ण एवं स्पष्ट विशिष्टियॉ समय से व तत्काल उपलब्ध करायें तथा शासनादेश संख्या–884/33– 3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 के अनुसार नमूना प्राप्त कर ऐसे नमूने अनुमोदित करें। क्रेता समिति आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल निर्धारित मानक के अनुसार होना सुनिश्चित करेगी और निर्धारित समयावधि में आदेशित मात्रा की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता संस्था से कराना सुनिश्चित करेगी और इन्ही आशयों का प्रमाण–पत्र आपूर्तिकर्ता संस्था से भी प्राप्त करेगी। इसके लिए **प्रारूप संलग्नक–1** पर है।

आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता संस्था का होगा। आपूर्तिकर्ता संस्थायें इस संबंध में अपने कार्यालय में प्रदेश स्तर पर एक–एक नोडल अधिकारी नामित करेंगी, जिनका दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि कम्बल निर्धारित गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप है। प्रमाण–पत्र का **प्रारूप संलग्नक–2** पर है।

3– भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के कार्यान्वयन संबंधी दिशा–निर्देश विषयक शासनादेश संख्या–901/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 पर भी प्री एवं पोस्ट –डिस्पैच परीक्षण में उक्त संशोधन यथावत लागू होंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जिनको राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या–3570/1–10–2013–12(34)/03, टीसी–। दिनांक 19 नवम्बर, 2013 के अन्तर्गत वितरित कम्बल प्राप्त हो गया है, वे लाभार्थी पंचायती राज विभाग द्वारा वितरित किये जाने वाले कम्बल के लिए पात्र नहीं माने जायेंगे।

4– ऐसे लाभार्थी जिन्हें इस योजना के अन्तर्गत कम्बल प्राप्त हुआ है, की सूची विकास खण्डवार , जनपदवार विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

5– लाभार्थियों को कम्बल प्राप्त होने के पहले रसीद की प्राप्ति की जायेगी। रसीद का **प्रारूप संलग्नक–3** पर है।प्राप्त रसीदें जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में संचित की जायेंगी।

6– भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के स्वरूप निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–884/33– 3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 एवं भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजना के कार्यान्वयन संबंधी दिशा–निर्देश विषयक शासनादेश संख्या–901/33–3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 के शेष प्रतिबंध एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी। उक्त आदेशों का समयबद्ध ढंग से कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Rajendra

(आर0एम0श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, उद्योग, कानपुर।
4– समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 इण्डस्ट्रीयल कोआपरेटिव एसोसियेशन लि0, लखनऊ।
9– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य हथकरघा निगम, कानपुर।
10– डी0जी0एम0(मार्केटिंग), नेशनल टेक्सटाइल्स कार्पोरेशन लि0, कोर–4, स्कोप काम्पलेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली।
11– सचिव, श्री गांधी आश्रम, खादी भवन, हजरतगंज, लखनऊ।
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

प्रारूप–1

भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजनान्तर्गत कम्बल वितरण का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद............................... में भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत निम्नवत कार्यवाही की गयी है :–

1. कम्बल की आपूर्ति /वितरण के संबंध में क्रेता समिति द्वारा आपूर्तिकर्ता संस्था को आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल की पूर्ण एवं स्पष्ट विशिष्टियॉ समय से उपलब्ध करा दिया गया है।
2. शासनादेश संख्या–884/33– 3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 के विशिष्टियों के अनुसार नमूना प्राप्त कर अनुमोदित कर दिया गया है।
3. क्रेता समिति द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल निर्धारित मानक के अनुसार होना सुनिश्चित किया गया है।
4. निर्धारित समयावधि में आदेशित मात्रा की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता संस्था से कराना सुनिश्चित किया गया है और इन्ही आशयों का प्रमाण–पत्र आपूर्तिकर्ता संस्था से भी प्राप्त कर लिया गया है।

दिनॉकः–

(जिला पंचायत राज अधिकारी)
जनपद...
सदस्य सचिव, क्रेता समिति

प्रारूप–2

भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजनान्तर्गत कम्बल वितरण का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद.............................. में भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारण्टी योजनान्तर्गत कम्बल आपूर्ति हेतु निम्नवत कार्यवाही की गयी है :–

1. जिले का नाम–..

2. आपूर्तिकर्ता संस्था का नाम– ....

3– आपूर्ति किये जाने वाले कम्बलों की संख्या– ....

4– आपूर्ति की तारीख–................................

5– आपूर्ति किये जाने वाले प्रत्येक कम्बल की विशिष्टियॉ शासनादेश संख्या–884/33– 3–2013–73/2012, दिनांक 19 मार्च, 2013 में निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप है।

दिनॉक–

नाम

पदनाम

आपूर्तिकर्ता संस्था

प्रारूप–3

भूख मुक्ति एवं जीवन रक्षा गारंटी योजना, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कम्बल वितरण की प्राप्ति रसीद

1. नाम– ....
2. पिता/पति का नाम– ....
3. आयु– ....
4. ग्राम पंचायत– ....
5. विकास खण्ड– ....
6. जनपद– ....
7. वितरण की तिथि– ....
8. वितरण का स्थान– ....

लाभार्थी का फोटो

ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापित फोटो

प्रमाणित करता हूँ कि मैने एक अदद कम्बल व्यक्तिगत उपयोग हेतु प्राप्त किया। मैं इसका उपयोग स्वयं करूंगा, भविष्य में किसी अन्य व्यक्ति को बिकी नहीं करूंगा।

प्रमाणितकर्ता के नाम व हस्ताक्षर

लाभार्थी के हस्ताक्षर
दिनॉक–

1. ग्राम प्रधान..
2. ग्राम पंचायत अधिकारी..

सत्यापनकर्ता के नाम व हस्ताक्षर

सहायक विकास अधिकारी/विकास खण्ड के नोडल अधिकारी......................................